न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—127/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/127

अपीलाण्ट :—

करसन पुत्र श्री जेठा जी, उम्र 55 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सांचोर, तहसील सांचोर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1—पुरूषोतम पुत्र स्वर्गीय अम्बाराम,

2—मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय अम्बाराम,

3—सीतादेवी पत्नी स्वर्गीय अम्बाराम,

ब्राहम्ण, निवासीगण सांचोर, तहसील सांचोर, जिला जालोर (राज.),

4—नाबालिग खुशबु पुत्री पोपट कुदरती वली लक्ष्मण पुत्र पोपट,

5—चम्पाराम पुत्र जेठा,

6—देवु पत्नी जेठा,

7—नाबालिग दिव्या पुत्री पोपट कुदरती वली लक्ष्मण पुत्र पोपट,

8—अधिशाषी अधिकारी, जरिये नगर पालिका सांचोर,

9—पुरा पुत्र गला,

10—पारू पत्नी रायमल,

11—मूंगा पुत्र गला,

12—मफा पुत्र गला,

13—महेन्द्र कुमार पुत्र रायमल,

14—रमेश कुमार पुत्र जेठा,

15—रेशमी पत्नी पोपट फौत के कायम—मुकाम खुशबु, दिव्या नाबालिग कुदरती वली लक्ष्मण पुत्र पोपट,

16—लक्ष्मण पुत्र पोपट,

17—वसनाराम पुत्र रायमल,

18—सुरेश कुमार पुत्र श्री रायमल, जातियान मेघवाल, निवासीगण

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

29/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

साकिनान सांचोर, तहसील सांचोरी,
जिला जालोर।

19–तहसीलदार (भूमिधारी) सांचोर,
जिला जालौर।

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, प्रकरण संख्या 03/2021 बअनवान पुरूषोतम व अन्य बनाम करसन व अन्य निर्णय दिनांक 12.04.2023 बाबत।

उपस्थिति :–
1. श्री दौलत मकवाना , विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री सुमेरसिह राजपुरोहित विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः– २३.१०.२५

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, प्रकरण संख्या 03/2021 बअनवान पुरूषोतम व अन्य बनाम करसन व अन्य निर्णय दिनांक 12.04.2023_से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

न्यायालय का आदेश जैर अपील कानूनी दृष्टि से पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की सही ढंग से नहीं समझा है और इसी कारण उन्होंने अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया है। इस कारण उनका उक्त आदेश अपास्त व मनसुख किये जाने योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री को न तो सही ढंग से पढ़ा है और न ही समझा है और पत्रावली पर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के विपरित जाकर अपना आदेश जैर अपील पारित किया है, इस कारण भी उनका उक्त आदेश अपास्त व मनसुख किये जाने योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति पूर्णतया स्पष्ट थी कि खसरा संख्या–1718 रकबा 3.32 हैक्टेयर मौजा सांचोर साबिका खसरा नम्बर–230 रकबा 75 बीघा 3 बिस्वा का भू–भाग है, जिसके सम्बन्ध में राजस्व वाद वास्ते घोषणा खातेदारी का सहायक कलेक्टर सांचोर में लम्बित है। परन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मौका फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 01.06.2021 व 12.06.2021 का गलत रूप से अवलम्ब लेते हुए भी आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है, जिसमें भी बरवक्त फर्द बनाते हुए विपरित पक्षकार को उपस्थित नहीं रखा गया और ना ही उनको उपस्थित रहने के लिए कोई नोटिस/ सम्मन ही दिये गये। ऐसी स्थिति में सीमांकन की तिथि व समय से अपीलार्थी सहित अन्य अप्रार्थीगण अनभिज्ञ रहे और प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगती कर उनके साथ साजिश व षडयंत्र रचते हुए अपीलार्थी व अन्य की कब्जा काश्त की भूमि को हड़प करने के दुराशय से एक कमरे में बैठकर रिपोर्ट तैयार की गई है, जो रिपोर्ट जाहिरा तौर पर ही बनावटी व किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने वाली है। यही कारण है कि अप्रार्थी संख्या 6 नगर पालिका सांचोर एवम् अप्रार्थी संख्या–17 तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को ही स्वीकार करने का समर्थन किया गया है, इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव के चलते हुए उक्त फर्द को निर्मित करवाया है, जिसका आधार लेकर आलौच्य निर्णय अधीनस्व न्यायालय ने पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। इस कारण भी उनका निर्णय अपास्त व मनसुख किये जाने योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति पत्रावली पर आई फर्द मौका (पैमाईश) दिनांक 07.07.2021 से स्पष्ट थी कि बरवक्त मौका फर्द बनाते समय खसरा संख्या–1715 व 1718 के मध्य की माठ मौके पर खुर्द बुर्द पाई गई थी, ऐसी स्थिति में उक्त फर्द मौका/पैमाईश के अवलोकन से यह कतई स्पष्ट नहीं हुआ कि किस बिन्दु को केन्द्र बिन्दु मानकर नाप चौक किया गया तथा उसका क्या नाप चौक आया। उक्त फर्द मौका के समय अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण को उपस्थित नहीं रखा गया केवल मौतबीर व्यक्तियों का उल्लेख किया है, परन्तु उनके भी नाम व पते अंकित नहीं किये है और जो मौतबीर व्यक्ति लिये गये है, वे भी कतई पक्षकार मुकदमा नहीं थे। इस पर भी गौर किये बिना फर्द मौका पैमाईश को सही होना मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। इस कारण उनका आलौच्य निर्णय अपास्त व मनसुख किये जाने योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्थिति पूर्णतया पत्रावली पर आ चुकी थी कि प्रार्थीगण ने ही पूर्व में पुरानी माठ को तोडा था, जिसका आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना संचोर में दर्ज होकर जैर अनुसंधानधीन है और जो नाप चौक व सीमांकन किया गया था वह सभी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की मौजूद में नहीं हुआ। जबकि अप्रार्थी संख्या–1,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15 व 16 द्वारा अपना जवाव अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें भी इन्हीं तथ्यों का उजर लिया गया था, परन्तु उनके उजरात को दरकिनार कर आलौच्य निर्णय पारित करने के जो आधार अपने आलौच्य निर्णय में लिये गये है, वे पूर्णतया आधारहीन है, जिस वावत कोई स्पष्ट फाईण्डिंग अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य निर्णय में नहीं दी गई है। इस कारण भी उनका आलौच्य निर्णय अपास्त व मनसुख किये जाने योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा पुरानी माठ को तोडने के सम्वन्ध में जो प्रकरण पुलिस थाना सांचोर में दर्ज करवाया था, उसमें निर्णय दिनांक 13.09.2021 को सव डिविजन मजिस्ट्रेट, सांचोर द्वारा किया गया, जिसमें लिखित इवारत व आरोप को अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार करने के कथन अंकित किये है, जवकि ऐसी कोई इवारत व आरोप को अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया वल्कि राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ऐसे निर्णय पारित करवाये गये थे, जो जमीनी हकीकत से परे थे। इस कारण भी उनका आलौच्य निर्णय अपास्त व मनसुख किये जाने योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या–6 नगर पालिका सांचोर ने जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या–1715 व 1716 की पूर्वी माठ की पत्थरगड्डी करवाने का निवेदन किया गया था, जवकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या–1718 की भूमि की पत्थरगड्डी करवाने का निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपना विधिक ज्ञान लगाये विना केवल मात्र नगर पालिका सांचोर के अभिकथनों पर विश्वास कर खसरा संख्या–230 की भूमि पर अप्रार्थीगण के कब्जे को अतिक्रमण होना मानने में कानूनी व वाक्याती भूल की है, जवकि खसरा संख्या–1718 पूर्व में खसरा संख्या–230 का ही हिस्सा था। इसके अलावा जो माठे तोडकर खुर्द वुर्द की गई थी, वह भी कतई अप्रार्थीगण द्वारा नहीं तोडी गई थी, जिसका भी गलत भावार्थ अपने आलौच्य निर्णय में निकालते हुए आलौच्य निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व वाक्याती भूल की है। इस कारण उनका निर्णय अपास्त व मनसुख किये जाने योग्य है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में केवल मात्र दोनों पक्षों के मध्य विवाद होने को रेखांकित किया है, परन्तु जो राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में वावत घोषणा खातेदारी का लम्वित है, उस सम्वन्ध में कोई फाईण्डिंग नहीं दी गई कि यदि इस प्रकार का पत्थ्रगड्डी का आदेश पारित किया गया तो उक्त राजस्व मूल वाद का अपीलार्थी सहित अन्य अप्रार्थीगण के प्रकरण पर विपरित प्रभाव पड़ेगा तथा आलौच्य निर्णय की आड में उक्त वाद में अनुचित लाभ प्रत्यर्थी संख्या–1 ता 3 को प्राप्त हो जायेगा। इसके अलावा राजस्व रेकर्ड जमावन्दी एवम् नक्शा में तरमीम अनुसार पत्थरगड्डी करने के आदेश पारित किये गये है, जवकि मौके पर ना तो तरमीम हुई है और ना ही राजस्व रेकर्ड में उसका इन्द्राज किया गया है, जो किया गया है, वह भी विधि विरूद्ध किया गया है। इस कारण भी आलौच्य निर्णय अपास्त व मनसुख किये जाने योग्य है। इस कारण उक्त निर्णय को अपास्त फरमाया जाना न्यायोचित है। विकल्प में यदि कोई विवाद उत्पन्न मौके पर सीमांकन वावत उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे विवाद के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार एक मात्र अपीलार्थी को है, क्योंकि मौके पर उसकी खातेदारी भूमि में अतिचार किया गया है। इस कारण जव तक मौके अनुरूप सीमांकन के लिए

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

दस्तावेज राजस्व रेकर्ड के अनुसार मौके पर भूमि का नाप चौक कर अपने हदो हद में सभी पक्षकारान स्थापित नहीं हो जाते है तब तक सीमांकन का आदेश निष्प्रभावी समझा जावे तथा विकल्प में इसके निस्तारण हेतु उक्त प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया जाकर सर्वप्रथम राजस्व रेकर्ड की स्थिति को मौके पर स्थापित किया जावे।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टरएवम उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या–03/2021 बअनवान पुरुषोतम व अन्य बनाम करसन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2023 को अपास्त व मनसुख किया जाकर प्रार्थीगण/प्रत्यर्थी संख्या–1 ता 3 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में सादिर फरमाया जावे विकल्प में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण को पुनः न्यायपूर्ण तरीके से निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे। अन्य कोई उचित आदेश जो बहक अपीलार्थी विरूद्ध रेस्पोडेन्ट हो सादिर फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि–

वाके सरहद मौजा–सांचौर, पटवार हल्का–सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर, राजस्थान में हम प्रार्थीगण के खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा का खेत खसरा नंबर–1718 रकबा 3.32 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का आया हुआ हैं।

अप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर–1718 रकबा–3.32 हैक्टर के पूर्वी माठ के पडोसी प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा के खेत खसरा नंबर–1715 व 1716 के आए हुए हैं।

वर्तमान में अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर–1718 की पूर्वी दिशा की माठ मौके पर मौजूद नहीं हैं जहां पर अप्रार्थीगण द्वारा तारबंदी (पत्थरगड्डी) करना चाहते हैं अप्रार्थीगण ने दिनांक 19.05.2021 को तहसीलदारजी–सांचौर के कार्यालय से सीमांज्ञान व माठ कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर हल्का पटवारी–सांचौर व भू.अ. निरीक्षक सांचौर ने दिनांक–01.06.2021 को खेत खसरा नंबर–1718 रकथा–3.32 हैक्टर की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाया, जिस पर प्रार्थीगण ने गाठ कायम नहीं करने दी तथा प्रार्थीगण ने उनके खेत खसरा नंबर–1715 की पैमाईश करवाई जो हल्का पटवारी सांचौर व भू. अ.निरीक्षक–अरणाय द्वारा करवाई गई, उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1718 की पूर्वी दिशा की माठ कायम नहीं करने दी।

हमने उपस्थित पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालयो की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पाया गयाकि मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलाण्ट मौके पर मौजूद नही था। इसलिए माठ कायम नही करने दी। पूर्व में पैमाईश रिपोर्ट में मात्र सीमाज्ञान करवाने तक है न कि मुस्तकिल बिन्दु व दुरीयो का उल्लेख नही किया है। पारित आदेश धारा 111,128 एल.आर.एक्ट की मंशा के अनुरूप नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। न ही अपीलाण्ट को सी पी सी के विधिक

29/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. प्रकरण में उभय पक्षो के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान वकील का कथन है कि रेस्पोडेण्ट झगडालू किस्म के है एवं मौके पर की गई पैमाईश को स्वीकार नही करते है। विवादित माठ को कायम करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम में सीमाचिन्ह निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया का पूर्ण विवरण है जिसकी पालना नही की गई है। पारित आदेश विधिवत है एवं इसकी अनुपालना करवाई जानी चाहिए।इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017(2) पेज सं. 1084 में उद्धरण पेश है।

इस कम में रेस्पोडेण्ट के विद्वान वकील का कथन है कि प्रकरण में पूर्व में की गई पैमाईश को हमे विधिवत सूचना नही मिली एवं मुस्तकिल बिन्दु का भी निर्धारण नही किया गया । अतः इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय विधिसम्मत आदेश पारित करे।

8. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो का अवलोकन एवं विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी जाने के उपरान्त समस्त बिन्दुओ पर विवेचन उपरान्त अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, प्रकरण संख्या 03/2021 बअनवान पुरूषोतम व अन्य बनाम करसन व अन्य निर्णय दिनांक 12.04.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

"मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर में प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हक हकूक कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 1718 रकबा 3.32 है0 किस्म बारानी दोयम भूमि के पूर्व दिशा की माठ कायम करने हेतु तहसीलदार, सांचौर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे–

1) मौके की पैमाईश नवीनतम नाप प्रणाली जीपीएस मशीन से करने की तिथि पूर्व निर्धारित कर दोनो पक्षो को एक सप्ताह पूर्व सूचित करे।

2) पैमाईश करने से पूर्व सर्वप्रथम मुस्तकिल बिन्दु का भू नक्शो व मौके पर निर्धारण किया जावे। व उससे विवादित माठ व अन्य विधिवत बिन्दुओ से नक्शे अनुसार सभी नाप दूरिया मौका रिपोर्ट में अंकित करे।

3)मौके की दूरियो की नाप की जाकर उसे भी मौका रिपोर्ट में अंकित कर दोनो पक्षो को उसकी प्रति देकर उनसे 3 योम में लिखित आपत्ति यदि कोई हो तो प्राप्त करे।

4)प्राप्त आपत्तियों का युक्तियुक्त निस्तारण कर पुनः मौके पर जाकर पुलिस इमदाद से विवादित माठ को कायम करवाकर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करें।"

29/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

9. प्रकरण में पक्षकारो के मध्य सीमा विवाद को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु सीमा चिन्ह निर्धारण की उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही तहसीलदार,जालोर एक माह में सम्पन्न करना सुनिश्चित करे।

अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

29/10/24

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

29/10/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)